अध्याय–दो

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.1
क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

इकाईयों का प्रकार	संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं

वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

वन वृत्तों पर नियंत्रण हेतु वृत्तवार वृत्त प्रभारी की व्यवस्था पुनः लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत मुख्यालय में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी आवंटित वन वृत्त के कार्यों का अनुश्रवण करते हैं एवं मुख्यालय स्तर पर वृत्त हेतु समन्वय की भूमिका का निर्वहन करते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–।। (**A**) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्यआयोजना के साथ–साथ वन भू अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों, विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु परिक्षेत्रों में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) वृत्त तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर है। क्षेत्रीय इकाईयों की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का विवरण तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.2
क्षेत्रीय इकाइयों की नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	क्षेत्रीय इकाई का विवरण	नियंत्रण अधिकारी
1	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	वन परिक्षेत्र अधिकारी
2	परिक्षेत्र सहायक	
3	वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/वनमंडलाधिकारी (सामान्य/उत्पादन)
4	उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	
5	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/ वन मंडल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन) तथा संचालक वन विद्यालय	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
6	वन परिक्षेत्र अधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त
7	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर
8	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र., भोपाल
9	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) म.प्र., भोपाल
10	क्षेत्र संचालक/संचालक राष्ट्रीय उद्यान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय–समस्त) म.प्र., भोपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश, भोपाल

1.4.2 स्थापना

भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदों के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के भी दो पद स्वीकृत किये गये हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (फारेस्ट मैन्युअल) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना) भारतीय वन सेवा की पदस्थिति का विवरण तालिका क्रमांक 1.3 में दर्शित हैः

तालिका क्रमांक 1.3
भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति
(01.01.2017 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	05	05	–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	27	–
मुख्य वन संरक्षक	51	50	–
वन संरक्षक	40	28	–
उप वन संरक्षक	59	56	–
कुल वरिष्ठ पद	**180**	**165**	**–**
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	17	–
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	46	–
प्रशिक्षण रिजर्व	06	–	–
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	07	07
अध्ययन अवकाश	–	03	–
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**	**237**	07

राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्यों में सहयोग करते हैं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त क्षेत्रीय कार्यो पर नियंत्रण रखते है। राज्य वन सेवा के लिये स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति तालिका क्रमांक 1.4 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.4

राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(01.01.2017 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा 'अ'– विभाग में कार्यरत्	359	281	78
	'ब'– प्रतिनियुक्ति पर	93	57	36
	योग	**452**	**348**	**114**

तालिका क्रमांक 1.5

राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति

(01.01.2017 की स्थिति में)

क्रं.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	20	08	12
2.	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3.	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	01	00
4.	प्रचार अधिकारी	01	01	00
5.	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	01	00
6.	उप, संचालक, बजट/वित्त अधि. (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	02	04
7.	तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर	01	00	01
8.	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	00	02
10.	सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी	10	10	00
	योग	**44**	**23**	**21**

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवन क्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्रधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इनके कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** पर है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.6 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.6
अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति

(01.01.2017 की स्थिति में)

क्रं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
कार्यपालिक				
1	वनरक्षक	14024	11898	2126
2	वनपाल	4194	3521	673
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	962	296
4	वन क्षेत्रपाल	1194	654	540
योग		**20670**	**17035**	**3635**

लिपिकीय सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.7
लिपिकीय सेवाओं की पदस्थिति

(दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक ग्रेड–3	1487	1170	317
2	सहायक ग्रेड–2	379	356	23
3	लेखापाल	244	213	31
4	सहायक ग्रेड–1	192	127	65
5	लेखा अधीक्षक	75	68	7
6	अधीक्षक	35	34	1
7	वरिष्ठ निज सहायक	15	5	10
8	निज सहायक	45	35	10
9	शीघ्रलेखक	80	64	16
10	स्टेनो टायपिस्ट	57	0	57
11	मानचित्रकार	203	190	13
योग		**2812**	**2262**	**550**

चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.8 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.8
चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की पदस्थिति

(दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सुपरवाईजर	20	15	5
2	दफ्तरी	195	162	33
3	भृत्य/अर्दली/खलासी/फर्रास	950	773	177
4	**योग**	**1165**	**950**	**215**

विविध

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.9 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.9
विविध पदों की पदस्थिति

(दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	वाहन चालक	613	394	219
2	मुख्य महावत	14	03	11
3	महावत	35	14	21
4	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	22	27
5	**योग**	**711**	**433**	**278**

अनुकम्पा नियुक्ति

असामयिक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के योग्य उत्तराधिकारियों को सहायक ग्रेड–3, वनरक्षक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त पदों पर प्रवर्ग अनुसार नियुक्ति का प्रावधान है। विगत पॉच वर्षों में विभाग के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति का विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.10
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण

(दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में)

विवरण		वर्ष				
		2012	2013	2014	2015	2016
प्रकरण संख्या		281	294	281	258	109
निराकृत (नियुक्ति)		90	100	192	189	91
अमान्य प्रकरण		1	5	5	7	07
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	21	100	43	29	06
	प्रक्रियाधीन	169	89	41	33	05
	योग प्रकरण	**190**	**189**	**84**	**62**	**11**

दैनिक वेतन भोगी श्रमिक

वन विभाग में वर्कचार्ज एवं कंटेजेंसी कर्मचारी कार्यरत नही है केवल दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 8054 है। श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा श्रेणीवार श्रमिक के निर्धारित पारिश्रमिक अनुसार भुगतान ई–पेंमेट के माध्यम से किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाई कर्मी की श्रेणी दिये जाने एवं उनका वेतनमान निर्धारण का कार्य प्रगति पर है।

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.11

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

(माह अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक)

	पूर्व शेष	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक निराकृत प्रकरण	जनवरी 2017 की स्थिति में लंबित प्रकरण
विभागीय जांच प्रकरण	87	12	99	12	87
कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण	9	10	19	3	16
अपील प्रकरण	97	26	123	8	115

1.4.4 मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) संचालित हैं। मानव संसाधन विकास शाखा के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेत्तर एवं आयोजना बजट मदों से कुल रु. 1277.92 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से नियमित प्रशिक्षणों को प्राप्त कर भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों, सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपालों एवं वनरक्षकों के लिये वनमंडलों में क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि के दौरान आयोजित किये जाते हैं। इन क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों व रुपरेखा को निर्धारित किया जाकर सभी वन वृत्तों एवं वनमंडलों को उपलब्ध कराए गये हैं। प्रदेश में वर्ष 2016–17 में सीधी भर्ती के राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वनक्षेत्रपालों के उपलब्ध नहीं हैं। केवल सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह के) को निम्नानुसार प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.12

वन रक्षकों के नियमित प्रशिक्षण का विवरण

क्रं.	प्रशिक्षण संस्थान	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित संख्या
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	60
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	80
3	वन विद्यालय, बैतूल	88
4	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	47

5	वन विद्यालय, झाबुआ	40
6	वन विद्यालय, लखनादौन	67
7	वन विद्यालय, शिवपुरी	83
8	वन विद्यालय, पचमढ़ी	51
9	वन विद्यालय, ताला	40

इसके अतिरिक्त वनरक्षक पद से पदोन्नत वनपालों के लिये निम्नानुसार प्रशिक्षण संस्थानों में 45 दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है

तालिका क्रमांक –1.13
पदोन्नत वनपालों के नियमित प्रशिक्षण का विवरण

क्रं.	प्रशिक्षण संस्थान	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित संख्या
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	42
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	55
3	वन विद्यालय, बैतूल	49
4	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	71
6	वन विद्यालय, लखनादौन	51
7	वन विद्यालय, शिवपुरी	56

इसके अतिरिक्त उप वनक्षेत्रपाल पद से पदोन्नत वनक्षेत्रपालों के लिये वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट में 6 माह का नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इसमें कुल 84 वनक्षेत्रपाल उपस्थित हुए।

प्रदेश में सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये अनिवार्य अल्पकालीन (5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय) रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये 175 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नामांकित किया गया। इसके अतिरिक्त 16 वर्ष, 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों के संपूर्ण बैच को अल्पकालीन प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रमों के लिये नामांकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, Entension Education Instititue, Anand 2016 के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये भी नामांकित किया गया है।

अधोसंरचना :

प्रदेश में वन विभाग के वनक्षेत्रपालों से लेकर वनरक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये 9 सुसज्जित वन विद्यालय (वन प्रशिक्षण केन्द्र) संचालित हैं। ये वन विद्यालय प्रदेश के प्रत्येक भाग में स्थित हैं ताकि प्रशिक्षण के लिये सुविधाजनक स्थिति निर्मित हो सके। वर्तमान में इन वन विद्यालयों में निम्नानुसार प्रशिक्षण क्षमता है। विवरण तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.14
प्रदेश के वन विद्यालयों की प्रशिक्षण क्षमता

क्रं.	वन विद्यालय	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण क्षमता
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	वनरक्षक, वनपाल, वनक्षेत्रपाल	125
2	वन विद्यालय, अमरकंटक (जिला–अनूपपुर)	वनरक्षक, वनपाल	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	वनरक्षक, वनपाल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	वनरक्षक, वनपाल	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़ (जिला–रीवा)	वनरक्षक	80
6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनरक्षक, वनपाल	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (जिला–सिवनी)	वनरक्षक, वनपाल	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी (जिला–होशंगाबाद)	वनरक्षक, वनपाल	50
9	जैव विविधता प्र िक्षण केन्द्र, ताला (जिला–उमरिया)	वनरक्षक, वनपाल	50

विभागीय परीक्षा :

वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पूर्व में विभागीय परीक्षा नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाती थी। वर्ष 2016–17 में दिनांक 25–28 जुलाई 2016 को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। दिनांक 28–31 जनवरी 2017 में उक्त चार केन्द्रों में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई।

बाह्य परियोजना :

प्रदेश के 4 वन विद्यालयों– वन विद्यालय,शिवपुरी, वन विद्यालय, बैतूल, वन विद्यालय, अमरकंटक एवं राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (जिला–सिवनी) में इन प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण विषयवस्तु में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जायका परियोजना निर्देशालय) के द्वारा कुल रु.27.53 करोड़ की राशि अनुदान के रुप में प्रदाय की गई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वन विद्यालयों में फर्नीचरों एवं विभिन्न उपकरणों के क्रय इत्यादि के लिये कुल रु.243.20 करोड़ की राशि अनुदान के रुप में प्रदाय की गई। उपरोक्त राशि की सहायता से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.4.5 नीति विश्लेषण

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया है। फॉरेस्ट मैन्युअल पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन

भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर, 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है –

(1) **वन सुरक्षा समिति** : संघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अन्तर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं।

(2) **ग्राम वन समिति** : बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण पुनः स्थापन किया जाना आवश्यक है।

(3) **ईको विकास समिति** : राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को ईको विकास समिति कहा जाता है।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। संयुक्त वन प्रबंधन समिति कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाकर उनकी सहभागिता को सशक्त किया गया है।

वन समितियों की कुल संख्या **15,228** है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया ज रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.15

संयुक्त वन प्रबंध समितियों का विवरण

समिति का प्रकार	**समितियों की संख्या**	**प्रबंधित क्षेत्र** (वर्ग किमी)
ग्राम वन समिति	9650	37268
वन सुरक्षा समिति	4747	25904
ईको विकास समिति	831	3702
योग–	**15228**	**66874**

वर्ष 2015 में समितियों के सशक्तीकरण हेतु शाासन द्वारा ग्रामीण सदस्यों को सचिव बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत आज की स्थिति में 4691 सह सचिव के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिनमें से 4272 सह सचिव को सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।

सह सचिव को अभिलेखों के संधारण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण –

- **ग्राम वन नियम, 2015** – म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 ग्राम वन नियम का प्रकाशन हुआ है, जिसके संदर्भ में म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2015 अधिसूचित ग्राम वनों का ग्राम वन समितियों द्वारा प्रबंधन हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत उज्जैन वन वृत्त की 10 समितियों को आवंटित 4004.71 हेक्टेयर आरक्षित वनों को ग्राम वन समितियों को प्रबंधन हेतु प्रदाय किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।
- **संरक्षित वन प्रबंधन नियम, 2015** – म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 वन संरक्षित वन नियम का प्रकाशन हुआ है, जिसके संदर्भ में म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2015 से संरक्षित वनों का ग्राम वन समितियों द्वारा प्रबंधन हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, शहड़ोल एवं उज्जैन वन वृत्त की 56 समितियों को आवंटित 14713.01 हेक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

लाभांश वितरण –

(i) बाँस का लाभांश – प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत प्रतिशत वितरण किया जाता है। बांस का लाभांश का वितरण प्रदेश के 03 जिलों (बालाघाट, बैतूल एवं सिवनी) में किया जाता है।

(ii) काष्ठ का लाभांश – म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 03.09.2016 से काष्ठ लाभांश के शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय दिया जाना है। काष्ठ का लाभांश का वितरण वर्ष 2015–16 में प्रदेश के 07 जिलों (बालाघाट, बैतूल, हरदा, डिंडोरी, मण्डला, खण्डवा एवं सिवनी) में किया गया था। लाभांश वितरण की तालिका क्रमांक–1.16 में दर्शित है।

दिनांक 07–02–2016 को आयोजित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं तेन्दुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा अनुसार काष्ठ लांभाश को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है जिसके आदेश जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2016–17 में लाभांश वितरण की गणना एवं प्रशासकीय अनुमोदन की कार्रवाई प्रचलित है। इस वर्ष प्रदेश के 09 जिलों (बालाघाट, बैतूल, हरदा, डिंडोरी, मण्डला, रायसेन, होशंगाबाद, खण्डवा एवं सिवनी) में लाभांश वितरण किया जा सकेगा।

तालिका क्रमांक–1.16

विगत 05 वर्षों के लाभांश वितरण का विवरण

(राशि करोड़ में)

लाभांश प्रदाय वर्ष	विदोहन वर्ष	काष्ठ	बांस लाभांश	कुल लाभांश
2011–12	2010–11	22.04	0.46	22.50
2012–13	2011–12	24.13	8.76	32.89
2013–14	2012–13	22.92	14.94	37.86
2014–15	2013–14	20.43	18.27	38.70
2015–16	2014–15	26.59	18.81	45.46

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रवर्तित कुटीर उद्योग योजना

- उक्त योजना के अंतर्गत लघुवनोपज का श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवृद्धि, माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य 263 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कराये जाने हैं, जिससे लघुवनोपज संग्राहकों (संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्य) को अधिक मूल्य प्राप्त होकर उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए रू. 8.66 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें से प्राप्त प्रथम किश्त राशि रू. 4.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9 जिलों (सिवनी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, सीधी, बालाघाट, शहड़ोल, सतना एवं उमरिया) के अंतर्गत 34 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है। द्वितीय किश्त की राशि रूपये 2.59 करोड़ अगस्त 2016 में प्राप्त हुई है। लघुवनोपज/औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विदोहन एवं प्रबंधन तकनीक पर संबंधित समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 86 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 4553 सदस्य प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। प्रसंस्करण केन्द्रों के संचालन, मशीनों के रखरखाव, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग का प्रशिक्षण प्रसंस्करण केन्द्रों पर मशीनरी एवं उपकरण स्थापित होने के बाद दिया जायेगा।

प्रसंस्करण केन्द्र कठीबाड़ा अलीराजपुर

राज्य वन विकास अभिकरण –

राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। विगत छः वर्षों में राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत कराये गये वृक्षारोपण का विवरण तालिक क्रमांक–1.17 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.17

राष्ट्रीय वनीकरण योजनान्तर्गत वर्षवार वृक्षारोपण

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	कराये गये कार्य (हेक्टयेर में)	
		क्षेत्र तैयारी	रोपण कार्य
2010–11	3038.98	16645	27768
2011–12	2253.39	7105	16645

2012–13	914.54	4925	7105
2013–14	2210.21	4890	4925
2014–15	2100.00	4786	4890
2015–16	1789.64	3655	4786
2016–17	2295.16	8235	3655

राष्ट्रीय वनीकरण योजना : वृक्षारोपण

बुंदेलखण्ड विशेष परियोजना/प्रोजेक्ट –

उक्त योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार दो चरणों में किया गया हैः–

(अ) प्रथम चरण : (अवधि – वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12)

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ एवं दतिया में मृदा एवं जल संरक्षण तथा चारागाह विकास के कार्य कुल 98511 हेक्टेयर क्षेत्र में कराये गये हैं, जिससे लाभान्वित ग्रामों में ग्रामीणों को चारा, लघु वनोपज तथा सिंचाई हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। विवरण तालिका क्र. 1.18 दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.18

बुन्देलखंड विशेष पैकेज प्रथम चरण की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

मद का नाम	प्रस्तावित लक्ष्य		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त लक्ष्य (हे.)
	भौतिक	आर्थिक			
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	89093	107.00	106.54	106.54	89086
राष्ट्रीय वनीकरण योजना	7700	20.00	19.09	19.09	7700
मनरेगा	104137	115.00	3.67	3.67	1725
कुल योगः–	**200930**	**242.00**	**129.30**	**129.30**	**98511**

दमोह वनमंडल

परिक्षेत्र बिजावर, छतरपुर वनमंडल

ब) द्वितीय चरण : (अवधि – वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17)

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के 12वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (A.C.A.) मद में वर्ष 2013–14 से 2016–17 हेतु रूपये 80.02 करोड़ की भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति का विवरण तालिका क्रमांक 1.19 में दर्शित हैः

तालिका क्रमांक–1.19

क्रं.	कार्य का नाम	ए.सी.ए. की स्वीकृत राशि (करोड़ में)	भौतिक लक्ष्य
1.	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	65.6100	87530 हैक्टेयर
2.	नहर किनारे वृक्षारोपण	4.4921	66 कि.मी.
3.	एन.टी.एफ.पी. प्रोसेसिंग	9.9000	23 प्रोसेसिंग सेंटर
	कुल राशि	**80.0021**	

ऊपर दर्शाये मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं नहर किनारे वृक्षारोपण के कार्यों के क्रियान्वयन की कार्यवाही संयुक्त वन प्रबंधन कक्ष द्वारा की जावेगी तथा एन.टी.एफ.पी. प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज द्वारा किये जावेंगे।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में प्रदेश के 6 जिलों के अधीनस्थ आने वाले वनमण्डल उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं दतिया तथा पन्ना टाईगर रिजर्व, ओरछा अभ्यारण्य एवं नौरादेही अभ्यारण्य में उपरोक्त कार्य कराये जा रहे हैं। विवरण तालिका क्र. 1.20 दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.20

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण की प्रगति

(राशि लाख रू.में)

वर्ष	डीपीआर में प्रस्तावित राशि	बजट राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि
2013-14	2212.00	1327	944.59	भू जल संरक्षण कार्य- 7637 हे.
2014-15	2761.59	2212	1993.70	भू जल संरक्षण कार्य - 24080 हे. नहर किनारे वृक्षारोपण –10कि.मी.
2015-16	1873.40	3690	31.96	भू जल संरक्षण कार्य - 38485हे. नहर किनारे वृक्षारोपण –56 कि.मी.
2016-17	1183.00	2000	5.98	कार्य प्रगति पर
योग	**8029.99**	**9229**	**2976.23**	**70202 हे. एवं 66 कि.मी.**

USAID Forest-PLUS कार्यक्रम

मध्य प्रदेश में USAID द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से Forest Plus कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012 में USAID तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हुए परस्पर समन्वय के अंतर्गत प्रदेश में होशंगाबाद एवं हरदा वनमण्डल तथा तवा नदी के आस–पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफरजोन में क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजना क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग एवं USAID के बीच उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु MoU हस्ताक्षरित किया गया है। योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक State steering Committee का भी गठन किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से USAID मध्य प्रदेश व विभाग को REDD+ परियोजनाओं के निर्माण में आवश्यक फारेस्ट कार्बन इन्वेंट्री, ईको सिस्टम मेनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग तकनीकों के विकास हेतु रूप रेखा तथा संरचना विकसित करने तथा विभाग के अधिकारियों एवं समिति सदस्यों के मध्य आवश्यक जागरूकता निर्माण तथा क्षमता विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

USAID के consultants के द्वारा इस योजना के विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। USAID द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु Project Implémentation Plan तैयार किया गया है। होशंगाबाद वृत्त में विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु USAID द्वारा Regional Co-ordinator की नियुक्ति की गई है।

IORA Ecological Solutions द्वारा होशंगाबाद वृत्त में पिछले दशक में फॉरेस्ट कवर आये बदलाव को मैप करने हेतु Remote Sensing Analysis का कार्य प्रारंभ किया गया है।

Tetra Tech ARD के लघुवनोपज, विपणन विशेषज्ञ द्वारा होशंगाबाद वृत्त के लघुवनोपज के विपणन हेतु रणनीति तैयार की जा रही है। दिनांक 7 से 9 फरवरी 2017 तक मध्यप्रदेश के वनों से उपलब्ध ईकोसिस्टम सर्विसेज के आंकलन तथा वनों के कार्बन इन्वेंट्री तैयार करने की प्रक्रिया पर चयनित कार्य आयोजना अधिकारियों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों हेतु त्रि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण से उपरोक्त विषयों पर तकनीकी प्रक्रिया के मानकीकरण करने में वन अधिकारी सक्षम होगें।

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन –

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा पूरे देश में पचास लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु **"ग्रीन इण्डिया मिशन"** प्रारम्भ किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय से मध्य प्रदेश के 7 क्षेत्रीय वनमण्डलों क्रमशः दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, शिवपुरी एवं बड़वानी वनमण्डलों के अंतर्गत 70 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में रोपणियों की स्थापना, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण, आस्थामूलक कार्यों एवं मृदा जल संरक्षण क्षेत्रों के क्रियान्वयन हेतु **रू. 823.50** लाख की राशि वर्ष 2012 में प्राप्त हुई, जिसके विरूद्ध अब तक राशि रू. 711.46 लाख़ व्यय की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश का ग्रीन इण्डिया मिशन संबंधी Perspective Plan (वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–2021) तैयार कर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (ग्रीन इण्डिया मिशन) को दिनांक 12.07.2016 को भेजा गया है।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

वन बल प्रमुख के अधीन निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा का गठन सितम्बर 2015 में किया गया है। विभाग में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, उनके उद्देशें की प्राप्ति तथा उनके प्रभाव का परीक्षण करने का दायित्व इस शाखा पर है।

1.4.9 प्रोजेक्ट

वन बल प्रमुख के अधीन कार्यरत इस शाखा का मुख्य दायित्व बाहय संस्था के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विभाग हेतु प्रोजेक्ट का निर्माण अनुमोदन एवं क्रियान्वयन है।

1.4.10 अनुसंधान, विस्तार एवं लोकवानिकी

वर्षा ऋतु 2016 में अनुसंधान एवं विस्तार रोपणणियों से 455.82 लाख पौधों का निर्वतन विभागीय/गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु किया गया। गैर वन क्षेत्र में पौधा विकय से राशि रू. 366.11 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। वन विभाग की नर्सरी में पौध उत्पादन गतिविधि मुख्यतः महिलाओं के द्वारा संचालित होती है।

वर्षा ऋतु 2016 में विस्तार वानिकी योजना अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में माह अगस्त अंत तक 994.87 हे. क्षेत्र में से 7.12 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत ''कृषि वानिकी उप मिशन'' वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश में इस उप मिशन को क्रियान्वित करने हेतु वन विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। 60 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा शेष 40

प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। प्रारंभिक स्तर पर योजना प्रदेश के 16 जिलों में क्रियान्वित की जावेगी।

निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिये ''म0प्र0 कृषि वानिकी नीति 2016'' का प्रारूप तैयार किया गया है।

निमाड़ रोपणी, खण्डवा

भदभदा रोपणी भोपाल

अहमदपुर रोपणी, भोपाल में सोलर पंप

मिस्ट चेंबर, केन्द्रीय रोपणी, जबलपुर

1.4.11 भू–प्रबंध

वन भूमि व्यपवर्तन

भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं:–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम अन्तर्गत गत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.21 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.21

प्राप्त आवेदन एवं निराकरण

क्र.	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
1	प्राप्त आवेदन	36	41	39
2	स्वीकृत प्रकरण	35	37	14
3	अस्वीकृत प्रकरण	–	03	07
4	विचाराधीन प्रकरण	225	206	206
	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	93	77	89
	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	132	129	117

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा तालिका क्रमांक 1.22 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.22

उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन (हेक्टेयर में)

एवं कुल व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोगवार प्रतिशत

क्र.	उपयोग	1980-1990		1991-2000		2001-2010		2011-2016		कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत		
1	सिंचाई	62719.597	30.983	6367.356	16.134	8949.552	48.186	2383.612	20.94574	80420.117	29.583
2	विद्युत	2574.264	1.272	487.020	1.234	2369.214	12.756	2654.690	23.32781	8085.128	2.974
3	खनिज	4574.380	2.260	5677.176	14.385	4079.098	21.963	4084.789	35.89466	18415.443	6.774
4	विविध	702.849	0.347	4652.294	11.788	3168.664	17.061	2256.884	19.83178	10780.651	3.966
5	रक्षा	12458.038	6.154	22235.510	56.342	6.270	0.034	0.000	0.000	34699.818	12.764
6	अतिक्रमण	119401.716	58.984	46.170	0.117	0.000	0.000	0.000	0.000	119447.886	43.939
TOTAL		**202430.844**	**100.000**	**39465.526**	**100.000**	**18572.798**	**100.000**	**11379.935**	**100.000**	**271849.103**	**100.000**

टीपः— उपरोक्त तालिका भारत सरकार से आंकड़ों के मिलान के उपरान्त संशोधित स्थिति में है।

पिछले 4 दशकों में वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन सतत् रूप से कम हुआ है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात से अधिकतम (29.6 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन सिंचाई उपयोग हेतु किया गया है। 7 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कुल 63250.64 हेक्टेयर एवं 224 लघु सिंचाई परियोजनों में 17169.48 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हुआ है।

अतः वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग अनुसार विवरण **परिशिष्ट —3** में संलग्न है।

वर्ष 2016 में भूमि व्यपवर्तन के निराकृत प्रकरण तालिका क्रमांक 1.23 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.23

जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक निराकृत प्रकरण

क्र.	उपयोगकर्ता एजेन्सी	प्रकरण संख्या	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
1	सिंचाई	7	181.332	19.742
2	विद्युत	4	248.910	27.100
3	खनिज	3	466.479	50.787
4	विविध (मार्ग/रेलवे आदि)	3	21.778	2.371
योग		**17**	**918.499**	**100.00**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2016 में अधिकतम (51 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन खनन् कार्यो हेतु किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वर्ष 2015–16 में स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट – 4** पर है।

सामान्य स्वीकृति

एक हेक्टेयर से कम वन क्षेत्र हेतु

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कुछ शर्तो के अधीन शासकीय विभागों को एक हैक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति दी गई है। इसके उपयोग की समय–सीमा 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाई गई है। इसके अन्तर्गत स्कूल, मार्ग मरम्मत, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईने, पेयजल की व्यवस्था, रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरे, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाचटावर इत्यादि निर्माण कार्य लिये जा सकते है। प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.24 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.24

एक हेक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण

(03.01.2005 से 31.12.2013 तक)			(01.01.2014 से 31.12.2014 तक)			(01.01.2015 से 31.12.2015 तक)			(01.01.2016 से 31.10.2016 तक)		
प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.
313	313	129.092	31	31	21.475	158	146	80.241	4	4	2.253

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–5–11/2006/10–3 दिनांक 13.6.2014 द्वारा एल.डब्ल्यू.ई. (Left Wing Extremism) प्रभावित जिलों, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी, उमरिया, छिन्दवाड़ा एवं सिंगरौली में जनपयोगी विकास कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदत्त 2.00 हेक्टेयर के स्थान पर 5.00 हेक्टेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति अनुसार क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है। प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.25 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.25
5 हेक्टेयर तक स्वीकृत वन भूमि प्रकरण

(28.01.2011 से 31.12.2013 तक)			(01.01.2014 से 31.12.2014 तक)			(01.01.2015 से 31.12.2015 तक)			(01.01.2016 से 31.10.2016 तक)			योग		
प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.	प्राप्त	स्वीकृत	हे.
95	95	74.286	18	18	24.472	14	13	32.705	37	37	32.7	164	163	164.163

5 हेक्टेयर तक के स्वीकृत 163 प्रकरणों का उपयोग वार विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका क्रमांक 1.26

क्र.	व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	रकबा (हे. में.)
1	स्कूल	22	29.1879
2	डिस्पेन्सरी / अस्पताल	4	10.3010
3	विद्युत एवं संचार लाईन	57	45.1663
4	पेयजल परियोजनायें	18	23.4171
5	जल / वर्षा जल हार्वेस्टिंग संरचनायें	17	13.4055
6	लघु सिंचाई नहरें	3	3.8270
7	गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत	0	0.0000
8	कौशल उन्नयन / व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	10	3.9060
9	विद्युत सब स्टेशन	2	1.1810
10	संचार पोस्ट	0	0.0000
11	सड़को /सड़कों पर स्थित संस्थानों हेतु मार्ग, पहुंच मार्ग सहित का निर्माण /चौड़ीकरण	29	31.7710
12	पुल के उन्नयन, निर्माण, चौड़ीकरण हेतु	0	0.0000
13	गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन / आउट पोस्ट / बोर्डर आउट पोस्ट / वाच टावर इत्यादि	1	2.0000
योग		**163**	**164.163**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(2) के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हेक्टेयर से कम वनभूमि जिनमें

प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी गई हैः–

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23011/15/2008 एसजी दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2009 को जारी किए गए हैं।

कच्चे मार्गों का उन्नयन

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 द्वारा वन क्षेत्र से गुजर रहे 1980 के पूर्व निर्मित कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मार्गों के उन्नयन प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.27 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.27

मार्ग उन्नयन के प्रकरण

योजना	(वर्ष 1980 से दिसम्बर 2013 तक)		(जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक)		(जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक)		(जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक)	
	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2434	2423	101	90	179	141	**45**	**45**
मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	–	624	–	37	95	50	**30**	**30**
वर्ष 1980 के पूर्व की सड़कों का उन्नयन	–	–	–	–	–	22	**88**	**88**

1.4.12 कैम्पा (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि उपयोग पर देने की भारत सरकार की अनुमति में अन्य शर्तों के अतिरिक्त मुख्य रूप से दो शर्तें निहित रहती हैं :–

1. आवेदक से व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने वन क्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एवं वन्यप्राणी की राशि जमा करना।

इन दो शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकरणों मे जो धन राशि प्राप्त होती थीं, वह राज्य सरकार के पास जमा होती थीं तथा इसका उपयोग राज्य शासन द्वारा इन शर्तों की पूर्ति हेतु किया जाता था। इस धनराशि के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.04.2004 द्वारा कैम्पा (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority) का गठन किया गया है।

इस व्यवस्था अंतर्गत व्यपवर्तन की स्वीकृति योग्य परियोजनाओं में प्राप्त होने वाली समस्त राशि भारत सरकार द्वारा संचालित कैम्पा खाते में जमा कराई जाती हैं तथा राज्य शासन के वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) के अनुसार राशि भारत सरकार से प्राप्त करके विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वित की जाती हैं।

कैम्पा अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिये वर्षवार राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.28 पर दर्शित है।

तालिका कमांक–1.28

कैम्पा मद मे वर्षवार राशि का विवरण

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	केन्द्रीय कैम्पा खाते मे जमा राशि	म.प्र. को प्राप्त राशि	वनमण्डल को आवंटित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2007-2008	34884.78		
2	2008-2009	5537.43		
3	2008-2009	9858.94		
4	2009-2010	17454.53	5304.82	
5	2010-2011	30261.25	5096.56	3528.09
6	2011-2012	21394.92	5352.09	5277.13
7	2012-2013	36729.81		4593.63
8	2013-2014	102735.44	6150.00	5079.04
9	2014-2015	42856.87	8950.00	6197.04
10	2015-2016	22324.14	21300.00	8248.74
11	2016-2017 (31-12-16)	5346.72	14000.00	15690.48
योग		**329384.83**	**66153.47**	**48614.15**

वैकल्पिक वृक्षारोपण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति की शर्तों के अनुसार कराये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण का विवरण तालिका क्रमांक–1.29 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–1.29

क्र.	मद	रोपण योजनाएं	अवधि	प्रावधानित रोपण		कराया गया रोपण	
				भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)	भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)
1	राजस्व मद	.	1980–2000		-	41586.121	-
2	पी.डी.खाता	49	2002–2005			4198.217	
3	कैम्पा मद						
	रखरखाव	391	2010–2014		349.85	15524.711	
	रोपण	59	2014–15		146.97	5377.192	
	रोपण	69	2014–15	154162.722	238.52	13882.857	
	क्षेत्र तैयारी	71	2015–16		120.71	2988.790	269.03
	क्षेत्र तैयारी	11	2016–7		30.99	1013.690	
4	एन.वी.डी.ए.	-	-		-	60548.77	-
			योग	**154162.722**		**145120.348**	

रोपण कार्यों के अतिरिक्त वन्य प्राणी संरक्षण सहित अन्य कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट –5** पर है।

1.4.13 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकी का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :–

जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों (1:15,000 स्केल) का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार भी कर लिया गया है। इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग "Integrated Works Monitoring & Geo Mapping System," Plantation Monitoring System", " Working Plan Execution System", एवं Working Plan बनाने में किया जा रहा है। सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित दर पर डिजीटाईज्ड नक्शे हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ. फार्मेट में) प्रदाय किये जाते हैं।

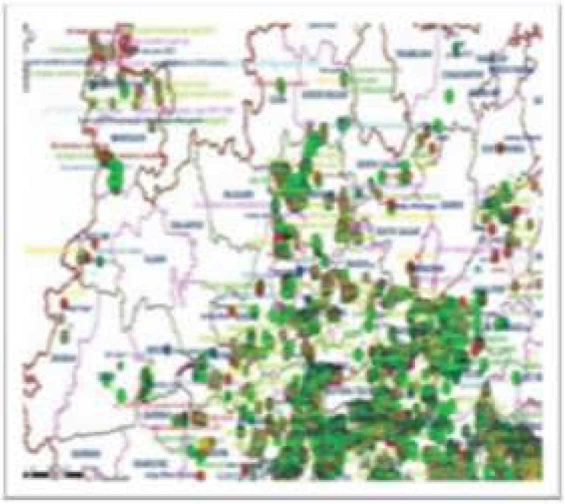

जी.आई.एस. डाटा के अद्यतन करने के द्वितीय चरण में म.प्र. वन विभाग के जी.आई.एस. डेटा को राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा के साथ मिलान किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उपरोक्त डाटा मिलान का कार्य एक बार पूर्ण हो जाने पर राजस्व वन भूमि विवाद में काफी कमी आने की संभावना होगी।

विभागीय डाटा सेंटर एवं संचार व्यवस्था

विभागीय आंकडों के सुरक्षित भण्डारण एवं संधारण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है।

विभागीय डाटा सेंटर को माह फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डाटा सेंटर में स्थानांतरित किया जा चुका है जिसका प्रबंधन एवं रखरखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन, भोपाल से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते है। आंकड़ों का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है।

एडूसेट नेटवर्क

वानिकी क्षेत्र तेजी से बदलते परिदृश्य में उत्कृष्ट नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है।

भोपाल में स्थित एडूसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रशिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रशिक्षण देते है बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते हैं।

वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन

केन्द्र शासन से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की 113 KV एवं 900 KV परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प, वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1 kw, 5 kw क्षमता ds Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वायरलेस ब्राडबैंड नेटवर्क

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों–परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी (14 जिले) पर 105 वायरलेस Canopy, Radio सपदा का उपयोग करके ब्राडबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है।

रिमोट सेंसिंग

मध्यप्रदेश वन विभाग को वनों के आवरण में परिवर्तन की जाँच के लिये NRSC हैदराबाद से हाई रेज्यूलेशन सेटेलाईट इमेजरी WV–2 (अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013) एवं (फरवरी 2014 से अप्रैल 2014), Orthorectified Liss–3, (2011-2013) एवं Liss–4, (2013), प्राप्त की गई। प्राप्त सेटेलाईट इमेजरी का उपयोग जियो पोर्टल के द्वारा NDVI Change Detection के लिये किया जा है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का अनुश्रवण

समिति के माध्यम से जो कार्य कराये जावेंगे उसके लिये राशि कार्य की प्रगति के आधार पर अर्जित राशि के रुप में समिति के खाते में तत्काल भुगतान की जावेगी। इस हेतु समस्त समितियों को प्रदाय व व्यय की जानकारी वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर से अपलोड कराने हेतु साफ्टबेयर संयुक्त वन प्रबंधन अनुश्रवण प्रणाली बनाया गया है जिसमें समितियों में वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर पर समिति खाते एवं विकास खाते दोनो के प्रदाय एवं व्यय की प्रविष्ठि की जायेगी।

अन्य उपयोगी एप्लीकेशन

वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये हैः–

1. फारेस्ट फायर एवं मेसेजिंग सिस्टम (FAMS)

वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बीटगार्ड को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि को नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है, इसका उपयोग प्रभावी रहा है। वर्ष 2008 में 4859 अग्नि घटनाओं में 62740 हेक्टेयर वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ था, जो 2016 में घटकर 2082 अग्नि घटनाओं में 8448 हेक्टेयर वन क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है।

MIS

2. फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)

प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली एवं कालातीत प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

3. वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम, (WLMS)

इस प्रणाली के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में की जा रही पेट्रोलिंग का मार्ग गूगल मैप पर देखा जा सकता है।

4. फारेस्ट एम्पलाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, (FEDMS)

इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।

5. प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)

इस प्रणाली के वृक्षारोपणों को पंजीकृत कर उनकी वास्तिविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डाटाबेस तैयार कर उक्त प्रणाली से वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जा सकता है।

6. ''बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज फेस II Application

इस प्रणाली की सहायता से वाटर शेड में कार्यों को क्षेत्रवार दर्ज कर नक्शे में देखा जा सकता है। बजट आवंटन की स्थिति एवं व्यय की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के द्वारा अनुश्रवण की जा सकती है।

7. हितग्राही (बांस, औषधि एवं सुगंधित पौधे) पंजीकरण प्रणाली

हितग्राही पंजीयन एवं प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे –बाँस भिर्रो का संवर्धन एवं विक्रय, औषधि/सुगंधित पौधों का संवर्धन एवं क्रय, अन्य लघु वनोपज के अन्तर्गत वनक्षेत्र/गैरवन क्षेत्र के हितग्राहियों के संबंध में जानकारी जैसे–बैंक संबंधित जानकारी, आवंटित क्षेत्र, मजदूरी की लाभांश राशि हितग्राहियों के फोटो सहित मानीटरिंग की जा सकती है।

1.4.14 वन सरंक्षण

वन संरक्षण

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिंसक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वनक्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनायें भी प्रकाश में आई हैं।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.30 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.30

वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		वर्ष 2012	2013	2014	2015	2016 (सितम्बर तक)
अवैध कटाई के प्रकरण		54634	54011	52613	48988	36064
अवैध चराई के प्रकरण		1112	1031	877	933	607
अवैध परिवहन के प्रकरण		2082	2239	2137	1968	1089
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	2411	1699	1573	1658	1005
	नवीन प्रभावित क्षेत्र (हे0)	4997	3679	3140	2622	972
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	758	1257	1186	986	655
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	3107	279	659	631	147
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**69101**	**64195**	**62185**	**57786**	**40539**
जप्त वाहनों की संख्या		1592	1126	1295	1651	707
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2113	2885	3180	3227	1906
वन अपराध में वसूल राशि(लाख में)		318.98	429.87	451.49	387.31	107.88

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.31 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.31

वर्षवार दर्ज प्रकरण

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016*
प्रकरण संख्या	301	308	184	172	92

*दिसम्बर 2016 की स्थिति में

- अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2016 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध हैं।
- वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गई हैं।

- वर्ष 2016 में 769 प्रकरणों में अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये तथा समस्त वन अपराधों में 707 वाहन जप्त किये गये हैं, जिसमें अवैध परिवहन में 426 वाहन जप्त किये गये हैं। वर्ष 2016 में रू. 107.88 करोड़ राशि अभिसंधानित प्रकरणों में वसूल की गई।
- राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में संलिप्त अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं। वर्ष 2015 में वन कर्मचारियों पर हमले के 45 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें 48 कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हुए थे। वर्ष 2016 में वन अपराध नियंत्रण के दौरान वन कर्मचारियों पर हमले की 33 घटनायें हुईं। हमले की इन घटनाओं में 21 वन कर्मचारी घायल हुये। हमले से जुडे वन अपराध प्रकरणों में अतिक्रमण के 9 प्रकरण, अवैध कटाई के 4 प्रकरण, अवैध उत्खनन के 6 प्रकरण, अवैध परिवहन के 10 प्रकरण शामिल हैं। ग्वालियर वृत्त में अवैध रेत उत्खनन के नियंत्रण हेतु पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 06.03.2016 को श्री नरेन्द्र शर्मा, वनरक्षक की रेत से भरे ट्रेक्टर पलटने से ट्रेक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हो गई तथा शिवपुरी वृत्त में श्री जगदीश मिंजवार, वनपाल, प्रभारी बीट बारईखेड़ा को ड्यूटी के दौरान अपराधियों के द्वारा हमला कर गायब कर दिया गया और श्री मिंजवार के जीवित होने की कोई सूचना अब तक प्राप्त नही हुई है।
- वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 2016–17 में कैम्पा मद के अंतर्गत 89 नग टाटा जिनॉन बहुउद्देशीय गश्ती वाहन, 150 नग 0.32 बोर रिवाल्वर, 12 बोर बन्दूकों के 17 हजार कारतूस एवं 0.32 बोर रिवाल्वर के 7500 कारतूस क्रय किये गये हैं। संवेदनशील परिक्षेत्रों के परिक्षेत्र अधिकारी एवं फ्लाइंग स्क्वाड के वनक्षेत्रपालों को आत्मरक्षार्थ रिवाल्वर दिये जा सकेगें। वन/वन्यप्राणी अपराधों के घटना स्थल पर जॉच एवं साक्ष्य एकत्रित करने हेतु 02 मोबाईल फारेंसिक लेब क्रय किया गया एवं कैम्पा मद से 8 मोबाईल फारेंसिक लेब क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- 2016–17 में केन्द्रीय सहायता सें संचालित गहन वन प्रबंधन योजना के अंतर्गत वन सुरक्षा अधोसंरचना सुदृढ़ करने हेतु बड़वाह एवं पश्चिम बैतूल वनमण्डल में 02 वन चौकी भवन, श्योपुर, बड़वाह ,सतना, उत्तर सिवनी, गुना वनमण्डल में 05 लाईन क्वार्टर भवन, बड़वाह. टीकमगढ़ नीमच वन मण्डल में 04 वॉच टावर, मंदसौर एवं दमोह वन मण्डल में 05 पेट्रोलिंग कैम्प तथा पूर्व छिन्दवाड़ा में 02 चैक पोस्ट (बैरियर) का निर्माण कराया गया।
- कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वृक्षों की 53 प्रजातियों को परिवहन अनुज्ञा पत्र से छूट दी गई थी, जिनमें से धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई 2 प्रजातियों बरगद एवं पीपल को छूट वाली सूची से हटा दिया गया है।
- विभागीय अपलेखित वाहन एवं वन अपराध में अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन में पारदर्शिता की दृष्टि से '' ई–टेंडरिंग '' के माध्यम से विक्रय प्रारम्भ की गई है।

बहुउद्‌देशीय गश्ती वाहन

रिवाल्वर 0.32

वन उपज जॉच नाका– मुरैना वनमण्डल

शस्त्रागार वन चौकी शनिचरा, वनमण्डल मुरैना

वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वनमंडलवार/वृत्तवार ऑकडे परिशिष्ट –6 से 16 पर हैं।

1.4.15 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनसुार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत 3 वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन विवरण तालिका क्रमांक 1.32 में दर्शित है ।

तालिका कमांक–1.32

काष्ठ, बांस उत्पादन एवं राजस्व

विवरण	वर्ष			
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17 ***
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	2,35,352	2,40,409	2,06,915	5,600
जलाऊ चट्‌टे (नग)	1,73,660	1,78,481	1,28,433	10,200
बांस (नो.टन)	79,168	41,858	36,086	16,800
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1104.82	1073.93	1081.36	773.0

* दिसम्बर 2016 तक

राज्य की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलु उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपज की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोज द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत हैं रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बेगा आदिवासियों जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक–1.33 में दर्शित है। मालिक मकबूजा काष्ठ कुल प्रकरण संख्या, प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी तालिका क्रमांक–1.34 में दर्शित है। प्रदेश के उत्पादन कार्यो को संपादन करने हेतु पिछले तीन वर्षों में निर्मित एवं इस वर्ष अनुमानित मानव दिवस की जानकारी तालिका क्रमांक–1.35 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.33

वर्षवार निस्तार प्रदाय

(मात्रा लाख में) (मूल्य एवं रियायत रूपये लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री								
	2014			2015			2016		
वनोपज का नाम	बांस (नो.टन)	बल्ली (नग)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (नो.टन)	बल्ली (नग)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (नो.टन)	बल्ली (नग)	जलाऊ चट्टे (नग)
मात्रा	58.25	1.26	0.84	45.79	0.81	0.74	28.48	0.57	0.50
विक्रय मूल्य	661.27	130.83	484.51	526.82	107.12	427.95	326.10	61.20	330.77
बाजार मूल्य	1394.36	224.85	1319.56	1202.50	185.71	1311.28	799.53	138.97	724.35
दी गई रियायत	**1662.16**			**1637.59**			**944.78**		

तालिका क्रमांक– 1.34

वर्षवार मालिक मकबूजा हेतु वनमंडलों को आवंटित राशि हजारों में

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	प्राप्त काष्ठ (घ.मी.)	आवंटन (लाख रू. में)
1	2013-14	777	16295	3588.72
2	2014-15	816	20355	4503.70
3	2015-16	705	12769	3165.15
4	2016-17 (दिसम्बर 2016)	286	5807	1508.86

तालिका क्रमांक- 1.35

वर्षवार प्रदेश के उत्पादन कार्यों को संपादित करने हेतु निर्मित मानव दिवस

क्रमांक	वर्ष	मानव दिवस (लाख में)
1	2013-14	27.56
2	2014-15	22.34
3	2015-16	21.08
4	2016-17	22.00 (अनुमानित)

1.4.16 वन्यजीव प्रबंधन

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के अतिरिक्त टाईगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है तथा अनुसूचि 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती है। वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुओं का भी विदोहन अधिनियमित है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्तप्राय पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव, खरमोर के संरक्षण के लिए सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये है। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले में घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक के पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये है। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के संरक्षण एवं विकास के लिए टाइगर सफारी स्थापित किया गया है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन प्राणी प्रजातियॉ है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट- 17** पर दी गई है।

वन्यप्राणी संरक्षण

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों -संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :-

- राजस्व क्षेत्रों में रोजड़ो के द्वारा किये जाने वाले फसल हानि की समस्या पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से प्रदेश में नवीन पहल कर इन समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के रोजड़ों को पकड़कर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के भीतर छोड़े जाने की शुरूआत की गई है।
- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये 10 रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड कार्यरत है।
- प्रदेश में वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा उनके विरूद्व हुये अपराधों में अन्वेषण हेतु विशेष टाइगर स्ट्राईक फोर्स का गठन किया गया है। दिनांक 21.11.2016 को बालाघाट जिले के सीता पठोर क्षेत्र में वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 786 में बाघ का शिकार कर दफनाने की घटना सामने आई। उक्त प्रकरण की जांच करते हुये STSF एवं स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा कुल 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो उस क्षेत्र में अलग–अलग अवसरों पर 8 बार वन्यप्राणियों की शिकार तथा उनके अवयवों के व्यापार के अपराध में लिप्त थे। जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त घटनाओं में तीन बाघ एवं 4 तेदुओं के शिकार सम्मिलित है। इन सभी जानवरों का शिकार झाड़–फूक करते हुये तांत्रिक क्रियाओं, पैसों की बारिश कराना एवं गड़ा सोना खोदने के लिये इनके नाखून एवं बाल प्राप्त करने के लिये किया गया है।
- विगत दिवसों में मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुये म.प्र. एवं देश के अन्य राज्यों तथा म्यांमार एवं नेपाल के वन्यप्राणी तस्करों तथा शिकारियों को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है तथा निरंतर ही इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर एवं सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेगी। प्रत्येक STSF न्यायालय में ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सकों के पृथक केडर निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।

- वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (STSF) ने दुर्लभ वन्यप्राणी पेंगोलिन के अंगो के व्यापार में लिप्त अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के विरूद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। गत पांच वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.36 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.36
(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2012	352	918	1270
2013	358	1098	1456
2014	347	1232	1579
2015	313	1202	1515
2016	191	914	1105

वर्ष 2016 के आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.37 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.37
(अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2012	336	975	1311
2013	476	1189	1665
2014	434	1378	1812
2015	401	1251	1652
2016	171	984	1155

वर्ष 2016 के आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

- **वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान**

वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर(सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोडकर) मृत व्यक्ति के परिवार को रू. 1,50000/– अनुकम्पा अनुदान दिये जाने के प्रावधान को शासन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2016 से बढ़ाकर रू. 4,00,000 (रूपये चार लाख) किया गया है। उक्त राहत राशि के अतिरिक्त इलाज पर हुए वास्तविक व्यय भी क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते हैं।

- **वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान**

वन्य प्राणियों (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) से घायल व्यक्ति को पूर्व में दिये जा रहे क्षतिपूर्ति राशि को शासन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2016 से संशोधित किया है, जिसके फलस्वरूप अब दी जा रही राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.38

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1.	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2.	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक होगी)

वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान

वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को शासन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2016 से संशोधित किया है, जिसके फलस्वरूप अब प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- **वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा**

वन्यप्राणियों से फसल हानि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा हानि का आंकलन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार किया जाकर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

- जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है।

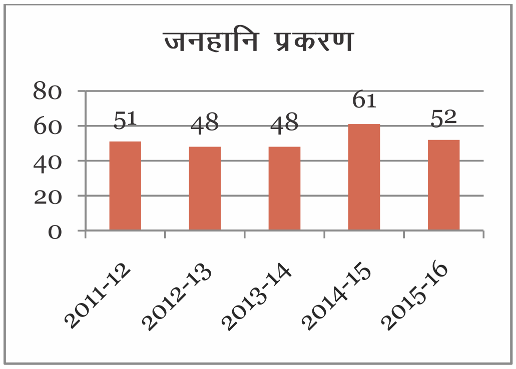

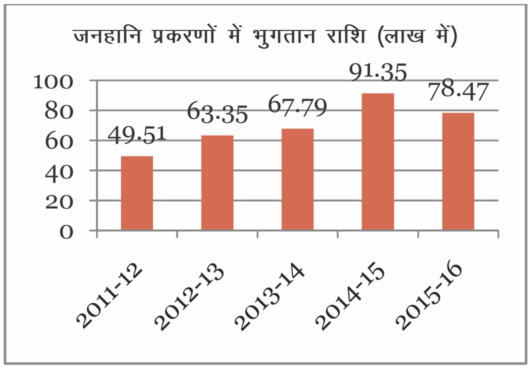

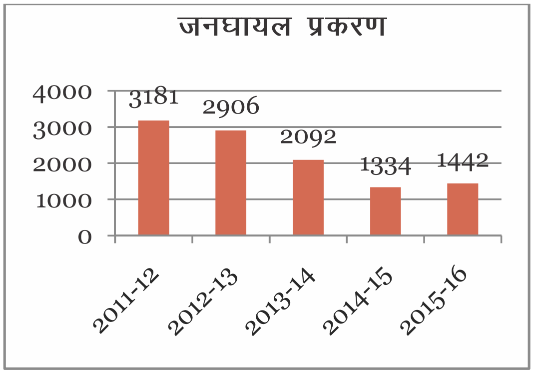

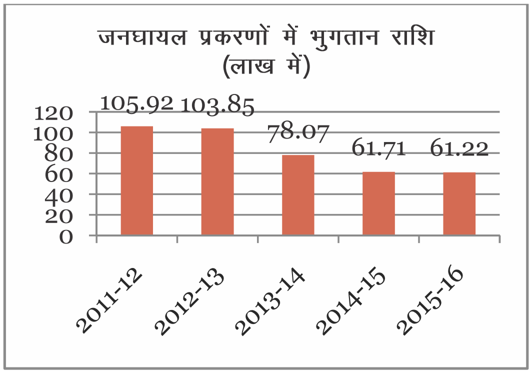

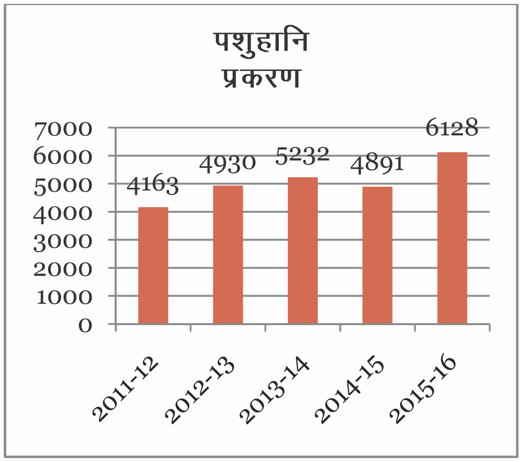

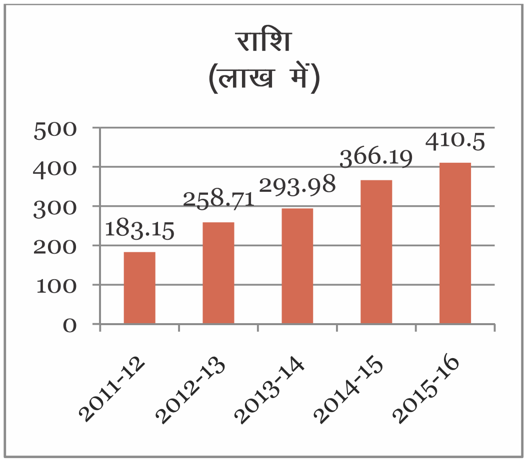

- **संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नस्थापनः**

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किये जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं। केन्द्र से पर्याप्त राशि प्राप्त ना होने के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना के अंतर्गत राशि के प्रावधान में वृद्धि की गई है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन

का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.39 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.39

(संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम)

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2012–13	4
2013–14	13 एवं 1 आंशिक
2014–15	17 एवं 3 आंशिक
2015–16	12 एवं 9 आंशिक
2016–17	8

वर्ष 2016 के आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन

बाघों, सह–परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। अभी तक हुये तीन आंकलन में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या का आंकलन तालिका क्रमांक–1.40 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.40

(बाघों की संख्या का आंकलन)

बाघों की संख्या			
राज्य/वर्ष	2006	2010	2014
मध्यप्रदेश	300 (236–364)	257 (213–301)	308

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, नेहरू नगर भोपाल के द्वारा गिद्धों की प्रथम चरण की गणना दिनांक 23 जनवरी 2016 को सम्पन्न हुई जिसमें 891 गिद्धों के रहवास स्थलों में 6900 गिद्ध पाये गये। द्वितीय/अंतिम चरण की गणना दिनांक 14 मई 2016 को सम्पन्न हुई जिसमें 900 गिद्धों के रहवास स्थलों में लगभग 7000 गिद्ध पाये गये है।

टाइगर रिजर्व का प्रबंध

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते है।

टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रारंभ की गई एक नवीन योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है। पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी कॉरीडोर को शशक्त करने के लिये विश्व बैंक से पोषित जैव विविधिता संरक्षण एवं ग्रामीण आजिविका सुधार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है। विगत वर्षो में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय निम्न तालिका क्रमांक 1.41 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.41

(संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या)

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
पर्यटकों की संख्या (लाख)	10.2	10.9	10.27	10.23
अर्जित आय (लाख रूपयें)	1482.84	2068.29	2194.02	2608.25

1.4.17 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर सोलह कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.42 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.42
कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना (आंचलिक)	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।

मध्यप्रदेश के कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा जिन वनमंडलों की कार्य आयोजना पुनरीक्षित की जा रही है, उनका विवरण तालिका क्रमांक 1.43 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.43
पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना की सूची

अ.क्र.	कार्य आयोजना इकाई	का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल
1	भोपाल	औबेदुल्लागंज
2	बैतूल	दक्षिण बैतूल

अ.क्र.	कार्य आयोजना इकाई	का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल
3	होशंगाबाद	सीहोर
4	सागर	दमोह
5	छतरुपर	छतरपुर
6	इंदौर	खरगोन/सेंधवा
7	खण्डवा	बड़वानी
8	ग्वालियर	ग्वालियर/ भिंड/ दतिया
9	शिवपुरी	शिवपुरी
10	उज्जैन	झाबुआ/अलीराजपुर
11	जबलपुर	पश्चिम मंडला
12	सिवनी	उत्तर सिवनी
13	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट
14	रीवा	उमरिया
15	शहडोल	दक्षिण शहडोल/अनूपपुर
16	छिंदवाडा	पश्चिम छिन्दवाड़ा

वर्ष 2016–17 में 06 वनमंडलों की कार्य आयोजना की समयावधि वृद्धि एवं 06 वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, उनका विवरण तालिका क्रमांक 1.44 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.44

भारत सरकार द्वारा प्रदाय की गई समयावधि वृद्धि एवं अनुमोदित कार्य आयोजनायें

(माह फरवरी 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	2	3	4
1	समयावधि वृद्धि प्राप्त कार्य आयोजनायें	06	दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, जबलपुर, दक्षिण सिवनी, दमोह
2	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	06	उत्तर शहडोल, दक्षिण पन्ना, गुना, अशोकनगर, इंदौर, बड़वाह

1.4.18 वन भू–अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठनः –

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर

वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत 182 अधिसूचनाओं द्वारा 4789.59 हेक्टेयर संरक्षित वन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) अनुपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्रों के निर्वनीकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये जानकारी संकलित की जा रही है।

(घ) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद : –

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन उपरान्त अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं।

वन व्यवस्थापनः –

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश /प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है। अतः प्रदेश के 16 वन वृत्तों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर पृथक से उप जिलाध्यक्ष स्तर के स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक–974/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में सम्मिलित पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने बावत् कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिये गये हैं। वर्ष 2016 में वन व्यवस्थापन की कार्यवाही उपरांत 07 वनखण्डों का 2186.746 हेक्टेयर आरक्षित वन की अधिसूचनाऐं राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

वन ग्रामों की भूमि का प्रबंधन

(क) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कराना –

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक/337/1995 की आई. ए. क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है एवं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 से स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित है। वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 310 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं। शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है। विधि विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 12.12.2016 अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार के पूर्व अनुमति के वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ख) वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को हस्तांतरित वन ग्राम –

वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को 533 वनग्राम हस्तांतरित किये गये। इनमें से केवल 06 वनग्राम ही निर्वनीकृत हुये हैं। इन 06 वनग्रामों का हस्तांतरण दिसम्बर 1975 में हुआ था और इनमे से 02 वनग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986 में निर्वनीकृत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन सभी 533 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही इन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था। लेकिन उक्त 06 वन ग्रामों के अतिरिक्त शेष 527 वन ग्रामों की वन भूमि को अभी तक निर्वनीकृत नहीं किया गया है। वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मंशा से राजस्व विभाग को हस्तांतरित 533 में से 527 वन ग्रामों की वनभूमि को हस्तांतरण के दिनांक से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्वनीकृत की अनुमति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन अधि./938 दिनांक 10.08.2016 से प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय को प्रेषित किये गये हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 : –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व

वन विभाग को सौंपा गया है। अभी तक प्रदेश में व्यक्तिगत 206960 वन अधिकार 333368.2 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा सामुदायिक अधिकार 27252 कुल 522751.2 हेक्टेयर क्षेत्र में वितरित किये गये हैं।

1.4.19 समन्वय

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जन सेवाओं को समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010" लागू किया गया है।

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवायें सम्मिलित की गई है। संबंधित सेवाओं के नाम पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की सूची एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा तालिका क्रमांक 1.45. में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.45

लोक सेवा गारंटी योजना

सेवा क्र.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथत अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडलअधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जनघायल हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणीयों से पशु हानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण।	वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण।	वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

सेवा क्र.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथत अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना	1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2.काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वन मण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनसंरक्षक

विभाग द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑन लाईन होने के परिणाम स्वरूप इसका सतत् अनुश्रवण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय की स्थिति तालिका क्रमांक 1.46 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.46
लोकसेवा प्रबंधन अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति
दिनांक 07/08/2011 से दिनांक 01/12/2016 तक

अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समय सीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निधारित समय सीमा के निकलने के पश्चात निरा त आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी					
	सेवा उपलब्ध करा ग	सेवा अमान्य कर दी ग	योग	सेवा उपलब्ध करा ग	सेवा अमान्य कर दी ग	योग	समय सीमा बा	आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106262	104136	986	105122	620	57	677	11	3	3	5	441	463